



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 58 वर्ष 2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुष विभाग, सिविल सचिवालय लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और एक अन्य

.....अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

डॉ. राकेश कुमार बाजपेयी और अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता : वीपी नाग, एससी, ज्योत्सना पाल, एएजी, तुषार वर्मा, ए.सी.एस.सी.

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : विजय नंदन मणि त्रिपाठी, श्रेया उपाध्याय, अमृतांश त्रिपाठी, प्रेम के साथ अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी (वरिष्ठ अधिवक्ता) चंद्रा राय, ओम प्रकाश पांडे, नीरव चित्रवंशी

साथ में दस अन्य विशेष अपील

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय अरुण बंसल, मुख्य न्यायाधीश माननीय जसप्रित सिंह, जे.

विषय: सिविल विविध विलंब क्षमादान आवेदन पर आदेश

2024 की संख्या 1

- विशेष अपील संख्या 543/2024 दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की याचिका पर सुनवाई हुई।
- शपथपत्र के साथ दिए गए आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, इसकी अनुमति दी जाती है।
- अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया गया है।

अपीलों पर आदेश

1. ये अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध हैं, जिनके तहत प्रतिवादी आयुष डॉक्टरों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है और उन्हें कानून के अनुसार सेवा के सभी परिणामी लाभों का हकदार माना गया है।
2. ये याचिकाएं प्रतिवादियों द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं जिनमें प्रतिवादियों की सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष निर्धारित की गई थी।
3. इस आधार पर चुनौती दी गई कि जहां 31.05.2017 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, वहीं आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु, जो अलग चिकित्सा सेवा नियमों द्वारा शासित हैं, में वृद्धि नहीं की गई है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उत्तर दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 540 के फैसले पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्देश पारित किया।
5. वर्तमान विशेष अपीलों में, स्टेट ऑफ गुजरात और अन्य बनाम डॉ. पी.ए. भट्ट और अन्य: 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 503 पर भरोसा किया गया था, जिस फैसले ने डॉ. राम नरेश शर्मा (उपरोक्त) के मामले में फैसले को अलग किया था।
6. अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य बनाम अनीसुर रहमान: 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2266 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा है और उसमें कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए इसी तरह के निर्देश पारित किए जा सकते हैं।
7. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का लागू करने के लिए, दिनांक 31.05.2017 की अधिसूचना में इंगित मापदंडों को लागू करने का आदेश दिया जाए, जिसके संबंध में प्रतिवादियों द्वारा समानता का दावा किया गया है।
8. प्रतिवादियों के अधिवक्ता का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है और इसलिए, अधिसूचना में उल्लिखित शर्त को लागू करने का प्रयास उचित नहीं है।
9. हमने प्राप्त सुझावों पर विचार किया है।
10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने पर पता चलता है कि डॉ. राम नरेश शर्मा (उपरोक्त) और डॉ. पी.ए. भट्ट (उपरोक्त) के मामलों में परस्पर विरोधी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विचारों सहित विभिन्न पक्षों की ओर से उठाए गए तर्कों पर ध्यान देते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

"हमारा मत है कि इस मुद्दे पर एक आधिकारिक निर्णय होना चाहिए और इसलिए हम इस मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रशासनिक पक्ष से इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।"

10. इस बीच, राज्य और प्राधिकरण स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को उनके लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु के बाद भी, एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक, नियमित वेतन और भत्तों के बिना, सेवा जारी रखने के हकदार होंगे। अंततः, यदि उच्च पीठ आयुष चिकित्सकों के पक्ष में निर्णय देती है और उन्हें सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का हकदार बनाती है, तो चिकित्सक सेवा जारी रहने की अवधि के दौरान वेतन और भत्तों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। हालांकि, यदि इस आदेश के आधार पर उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब भी वे बड़ी हुई अवधि के लिए वेतन और भत्तों का लाभ उठाने के हकदार होंगे, यदि मामला उनके पक्ष में जाता है। यदि राज्य सरकार ऐसी सेवा जारी रखने की अनुमति देती है और व्यक्तिगत चिकित्सक नियमित वेतन और भत्तों के बिना ऐसा कार्यभार नहीं लेते हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्त माना जाएगा और इस संदर्भ का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि आयुष चिकित्सकों को सेवा में बनाए रखा जाता है, तो वे पेंशन के भी हकदार नहीं होंगे, यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें वेतन और भत्तों का आधा भुगतान किया जाए, जिसे यदि संदर्भ से कोई अनुकूल आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो उनकी पेंशन में या अन्यथा नियमित वेतन और भत्तों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

12. तदनुसार आदेश दिया गया।

11. उपरोक्त आदेश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को यह विकल्प दिया है कि वह प्रतिवादियों अर्थात् आयुष डॉक्टरों को उनके लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बनाए रख सकता है और इसे संबंधित मामले में पारित होने वाले आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन रखा गया है।

12. जब अपीलकर्ता-राज्य का यह तर्क है कि प्रतिवादी 31.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार समान व्यवहार के हकदार नहीं हैं, तो वे उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को लागू करने "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

का प्रयास नहीं कर सकते। इन मामलों में पक्षकारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, जो बहुत स्पष्ट हैं और व्यावहारिक रूप से सभी संभावित स्थितियों का ध्यान रखते हैं।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों का निस्तारण किया जाता है। प्रत्येक रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संशोधित माने जाएंगे, जो निर्देश इन मामलों पर भी लागू होंगे।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.)

16 फरवरी, 2026

संदीप/आशीष

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"